

पत्रावली प्रस्तुत हुई। आगे वादी पतिवादी उपस्थिति
पैठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्ते श्री. वा. आयन्दा दिनांक 21/11/22
को पेश हो।

21.06.22 पत्रावली प्रस्तुत हुई। आगे वादी पतिवादी उपस्थिति
पैठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्ते श्री. वा. आयन्दा दिनांक 19/9/22
का पेश हो।

19.09
2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी
एवं वादी को तीन आवार्ज फिलाई गइ।
अनुपास्थित। ~~रहने से उनके अंतः~~ वाद पत्र
अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम को इकी त्वा पर
अदम दानवी अदम पेशवी में खारीज
किमा जाता है। पत्रावली फेसल सुमार दौक
नम्बर से कम हो।

